



भूल जाने का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संतुलन: व्यक्तिगत डेटा नियंत्रण पर जी. डी. पी. आर. के वैश्विक प्रभाव की जांच

सुदीप सार्व, विधि विभाग, शुभांशु तिकी, एलएल.एम.—भाग-2 (द्वितीय सेमेस्टर)
शा. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE



Authors

सुदीप सार्व
शुभांशु तिकी

E-mail : lawschoolcg@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 07/03/2026
Revised on : 08/05/2026
Accepted on : 17/05/2026
Overall Similarity : 01% on 09/05/2026



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

1%

Overall Similarity

Date: May 9, 2026 (01:34 PM)
Matches: 15 / 2942 words
Sources: 2

Remarks: Low similarity detected, consider making necessary changes if needed.

Verify Report:
Scan this QR Code



शोध सार

डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा का संग्रहण, प्रसंस्करण तथा प्रसार अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रहा है, जिसके कारण व्यक्तियों की निजता पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इस संदर्भ में "भूल जाने का अधिकार" एक महत्वपूर्ण कानूनी अवधारणा के रूप में उभरा है, जो व्यक्तियों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे अपनी अप्रासंगिक, पुरानी अथवा हानिकारक व्यक्तिगत जानकारी को इंटरनेट से हटाने की मांग कर सकें। दूसरी ओर, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है, जो विचारों एवं सूचनाओं के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करती है। इन दोनों अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करना एक जटिल विधिक एवं नैतिक चुनौती बन गया है, क्योंकि एक ओर जहां निजता की रक्षा आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक हित में सूचना की उपलब्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह शोध पत्र इन दोनों अधिकारों के मध्य उत्पन्न होने वाले संघर्ष का गहन विश्लेषण करता है तथा यह जांच करता है कि किस प्रकार संतुलन स्थापित किया जा सकता है। विशेष रूप से, यूरोपीय संघ के जी डी पी आर के प्रावधानों का अध्ययन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 17 के अंतर्गत "हटाने के अधिकार" को मान्यता दी गई है। यह अध्ययन इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि जी डी पी आर ने वैश्विक स्तर पर डेटा संरक्षण नीतियों और कानूनी ढांचे को किस प्रकार प्रभावित किया है। शोध में प्रमुख न्यायिक निर्णयों जैसे गूगल स्पेन बनाम ए ई पी डी तथा भारत के संदर्भ में न्यायाधीश के.एस. पुतुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का विश्लेषण किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है, किंतु "भूल जाने का अधिकार" अभी भी विकासशील अवस्था में है। यह अध्ययन सैद्धांतिक एवं तुलनात्मक शोध पद्धति पर आधारित है, जिसमें यूरोपीय संघ और भारत के विधिक ढांचे की तुलना की गई है। शोध के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि जी डी पी आर ने डेटा संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक मानकों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु विभिन्न देशों में इसके प्रभाव और क्रियान्वयन में विविधता पाई जाती है। अंततः, यह शोध

इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि "भूल जाने का अधिकार" और "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए न्यायालयों द्वारा "सार्वजनिक हित परीक्षण" तथा संतुलनकारी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिससे व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ समाज के व्यापक हितों को भी सुरक्षित रखा जा सके।

मुख्य शब्द

डिजिटल युग, भूल जाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक हित परीक्षण.

परिचय

वर्तमान समय में विश्व तीव्र गति से डिजिटल युग की ओर अग्रसर हो रहा है, जहाँ सूचना और प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन तथा विभिन्न डिजिटल सेवाओं के माध्यम से व्यक्तिगत डेटा का संग्रहण, भंडारण और प्रसार अत्यधिक बढ़ गया है। इस बढ़ती हुई डिजिटल निर्भरता ने जहाँ एक ओर सूचना तक पहुँच को सरल बनाया है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तियों की निजता (Privacy) और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समक्ष नई चुनौतियाँ भी प्रस्तुत की हैं।

"भूल जाने का अधिकार" का विकास विशेष रूप से यूरोप में हुआ, जहाँ इसे यूरोपीय संघ के जी डी पी आर के अंतर्गत औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। जी डी पी आर के अनुच्छेद 17 में "हटाने का अधिकार" का प्रावधान किया गया है, जो व्यक्तियों को उनके डेटा को हटाने का अधिकार प्रदान करता है। इस कानून का उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा डिजिटल प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही को बढ़ाना है।

हालाँकि, "भूल जाने का अधिकार" के प्रयोग से एक अन्य महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" के साथ टकराव उत्पन्न होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है, जो नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, जानकारी प्राप्त करने और साझा करने का अधिकार प्रदान करती है। यदि किसी जानकारी को इंटरनेट से हटा दिया जाता है, तो यह सार्वजनिक हित, पारदर्शिता और सूचना के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार, "भूल जाने का अधिकार" और "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" के बीच संतुलन स्थापित करना एक जटिल कानूनी और नैतिक प्रश्न बन गया है। यह प्रश्न विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब किसी व्यक्ति की निजता और समाज के व्यापक हित के बीच टकराव उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सार्वजनिक व्यक्ति के बारे में नकारात्मक जानकारी को हटाने की मांग की जाती है, तो यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या वह जानकारी सार्वजनिक हित में है या नहीं।

भारतीय संदर्भ में भी यह विषय अत्यंत प्रासंगिक है। भारत में निजता के अधिकार को पुद्गलस्वामी के ऐतिहासिक निर्णय के माध्यम से मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। हालाँकि, "भूल जाने का अधिकार" को लेकर भारत में अभी तक कोई स्पष्ट और व्यापक कानून नहीं है, और न्यायालय इस विषय पर मामले-दर-मामले के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसके अतिरिक्त, वैश्वीकरण के इस युग में जी डी पी आर का प्रभाव केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसने विश्व के अन्य देशों, विशेषकर भारत, पर भी गहरा प्रभाव डाला है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों को GDPR के प्रावधानों का पालन करना पड़ता है, जिससे वैश्विक स्तर पर डेटा संरक्षण के मानकों में सुधार हुआ है।

अतः यह शोध पत्र "भूल जाने का अधिकार" और "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" के मध्य संतुलन की आवश्यकता को समझने तथा जी डी पी आर के वैश्विक प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। यह अध्ययन न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह व्यक्ति के अधिकारों और समाज के हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है।

साहित्य समीक्षा

इस शोध विषय "भूल जाने का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संतुलन" पर विभिन्न विद्वानों, न्यायिक निर्णयों तथा विधिक प्रावधानों के माध्यम से व्यापक चर्चा की गई है। यह साहित्य समीक्षा इन सभी प्रमुख स्रोतों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिससे विषय की गहराई और विकास को समझा जा सके।

1. भूल जाने के अधिकार का विकास

"भूल जाने का अधिकार" की अवधारणा मुख्य रूप से यूरोप में विकसित हुई है। प्रारंभ में इसे "भूलने का अधिकार" के

रूप में देखा गया, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को अपने अतीत से मुक्त होने का अवसर प्रदान करना था।

इस अधिकार को औपचारिक मान्यता यूरोपीय संघ के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के माध्यम से मिली। जी डी पी आर के अनुच्छेद 17 में "हटाने का अधिकार" का प्रावधान किया गया है, जो व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत डेटा को हटाने का अधिकार प्रदान करता है, विशेषकर तब जब वह डेटा अब आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह गया हो।

2. प्रमुख न्यायिक निर्णय

(i) गुगल स्पेन बनाम ए ई पी डी

यह मामला "भूल जाने के अधिकार" के विकास में एक मील का पत्थर माना जाता है।

इस मामले में यूरोपीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि:

- सर्व इंजन ऑपरेटर (जैसे गूगल) "डाटा कंट्रोलर" के रूप में कार्य करते हैं।
- व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वे अपनी अप्रासंगिक या पुरानी जानकारी को सर्व परिणामों से हटाने की मांग कर सकें।

इस निर्णय ने यह स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत गोपनीयता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, भले ही वह सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।

(ii) जस्टिस के. एस. पुट्टस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

भारत में यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया।

हालाँकि इस निर्णय में सीधे "भूल जाने का अधिकार" का उल्लेख नहीं किया गया, किंतु यह स्पष्ट किया गया कि:

- व्यक्ति को अपने डेटा पर नियंत्रण का अधिकार है।
- निजता में "सूचनात्मक आत्म-निर्णय" शामिल है।

3. विद्वानों के विचार

विभिन्न विधि विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं:

समर्थन में

- आर टी बी एफ व्यक्ति की प्रतिष्ठा और निजता की रक्षा करता है।
- डिजिटल रिकॉर्ड स्थायी होते हैं, इसलिए उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है।
- यह दूसरा अवसर प्रदान करता है।

विरोध में

- यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है।
- इतिहास और पत्रकारिता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- सार्वजनिक हित की जानकारी छुप सकती है।

कुछ विद्वानों का मानना है कि आर टी बी एफ का दुरुपयोग भी संभव है, विशेष रूप से सार्वजनिक व्यक्तियों द्वारा।

4. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम भूल जाने का अधिकार

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है, जो नागरिकों को विचार व्यक्त करने और जानकारी साझा करने की स्वतंत्रता देता है।

इस संदर्भ में आर टी बी एफ के साथ इसका टकराव निम्न स्थितियों में होता है:

- जब कोई व्यक्ति नकारात्मक जानकारी हटाना चाहता है।
- जब वह जानकारी सार्वजनिक हित में हो।
- जब पत्रकारिता या ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रभावित होते हों जानकारी का सार्वजनिक महत्व।
- व्यक्ति की सार्वजनिक या निजी स्थिति।

➤ जानकारी की प्रासंगिकता और समयावधि।

5. जी डी पी आर का वैश्विक प्रभाव

जी डी पी आर ने केवल यूरोप ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर डेटा संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं:

- बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कड़े डेटा नियमों का पालन करना पड़ा।
- अन्य देशों ने भी डेटा सुरक्षा कानूनों को अपनाना शुरू किया।
- उपयोगकर्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी।

6. भारतीय संदर्भ में साहित्य

भारतीय विधि विशेषज्ञों के अनुसार:

- आर टी बी एफ का स्पष्ट कानूनी ढांचा अभी अनुपस्थित है।
- न्यायालयों द्वारा अलग-अलग मामलों में अलग दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- डिजिटल इंडिया के संदर्भ में डेटा संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है।

कार्यप्रणाली

इस शोध पत्र में "भूल जाने का अधिकार" और "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" के मध्य संतुलन तथा व्यक्तिगत डेटा नियंत्रण पर जी डी पी आर के वैश्विक प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति अपनाई गई है।

यह अध्ययन मुख्यतः गुणात्मक प्रकृति का है, जिसमें विधिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है।

1. अनुसंधान की प्रकृति

यह शोध वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दोनों प्रकार का है:

- **वर्णनात्मक:** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं जी डी पी आर के प्रावधानों का वर्णन।
- **विश्लेषणात्मक:** दोनों अधिकारों के बीच संघर्ष एवं संतुलन का मूल्यांकन।

2. सैद्धांतिक विधि

इस शोध का प्रमुख आधार सैद्धांतिक अनुसंधान पद्धति है, जिसमें निम्नलिखित का अध्ययन किया गया है:

- संवैधानिक प्रावधान।
- विधिक अधिनियम (जैसे जी डी पी आर)।
- न्यायालयों के निर्णय।

विशेष रूप से निम्न मामलों का विश्लेषण किया गया है:

- गूगल स्पेन बनाम ए ई पी डी।
- जस्टिस के. एस. पुट्टस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया।

इस विधि के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि कानून किस प्रकार विकसित हुआ है और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है।

3. आंकड़ों के स्रोत

यह शोध द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है:

प्राथमिक विधिक स्रोत

- जी डी पी आर, 2018।
- न्यायिक निर्णय।
- संवैधानिक प्रावधान।

द्वितीयक स्रोत

- विधि पुस्तकें।
- शोध पत्र।
- सरकारी रिपोर्ट।

5. डेटा संग्रहण की विधि

डेटा संग्रहण के लिए निम्न तकनीकों का उपयोग किया गया:

- **दस्तावेज विश्लेषण:** कानूनों एवं निर्णयों का अध्ययन
- **साहित्य समीक्षा:** विभिन्न विद्वानों के विचारों का विश्लेषण।
- **केस स्टडी पद्धति:** प्रमुख मामलों का गहन अध्ययन।

अनुसंधान निष्कर्ष

इस शोध में "भूल जाने का अधिकार" और "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" के मध्य संतुलन तथा व्यक्तिगत डेटा नियंत्रण पर जी डी पी आर के वैश्विक प्रभाव का विश्लेषण किया गया। अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष सामने आए हैं:

1. अधिकारों के मध्य स्पष्ट टकराव

शोध से यह स्पष्ट होता है कि आर टी बी एफ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच सीधा टकराव मौजूद है:

- आर टी बी एफ व्यक्ति की निजता और प्रतिष्ठा की रक्षा करता है।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करती है।

परिणाम

जब कोई व्यक्ति अपनी जानकारी हटाने की मांग करता है, तो यह अन्य लोगों के सूचना प्राप्त करने के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार, दोनों अधिकार एक-दूसरे के पूरक नहीं बल्कि कई बार परस्पर विरोधी बन जाते हैं।

2. जी डी पी आर ने वैश्विक मानक स्थापित किए

इसके लागू होने के बाद वैश्विक स्तर पर डेटा संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले:

- कंपनियों को उपयोगकर्ता डेटा के प्रति अधिक जवाबदेह बनाया गया।
- सहमति को अनिवार्य बनाया गया।
- उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा पर अधिक नियंत्रण मिला।

3. न्यायालयों की महत्वपूर्ण भूमिका

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि न्यायालयों ने इन दोनों अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए संतुलन तरीका अपनाया है।

प्रमुख मामला

गूगल स्पेन बनाम ए ई पी डी

इसमें न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति की निजता को प्राथमिकता दी जा सकती है, यदि जानकारी अप्रासंगिक हो।

परिणाम

न्यायालय प्रत्येक मामले में अलग-अलग परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेते हैं।

4. भारतीय संदर्भ में अस्पष्टता

भारत में RTBI को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है:

- जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया।
- निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया।

लेकिन

- आर टी बी एफ पर कोई स्पष्ट कानून नहीं है।
- न्यायालय केस-टू-केस आधार पर निर्णय लेते हैं।

परिणाम

भारत में इस अधिकार का विकास अभी प्रारंभिक अवस्था में है।

चर्चा

इस शोध में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि "भूल जाने का अधिकार" और "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" के बीच संतुलन स्थापित करना आधुनिक विधिक प्रणाली के सामने एक जटिल और बहुआयामी चुनौती है।

डिजिटल युग में जहाँ व्यक्तिगत डेटा का प्रसार अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है, वहीं व्यक्तियों की निजता और प्रतिष्ठा की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक हो गई है। इसी संदर्भ में यूरोपीय संघ के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने "हटाने का नियम" के माध्यम से व्यक्तियों को उनके डेटा पर नियंत्रण प्रदान किया है।

1. अधिकारों के बीच संतुलन की जटिलता

चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि:

- "भूल जाने का अधिकार" व्यक्ति के निजी हित की रक्षा करता है।
- "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" सार्वजनिक हित से जुड़ी होती है।

समस्या तब उत्पन्न होती है जब:

- कोई व्यक्ति अपनी नकारात्मक जानकारी हटाना चाहता है।
- लेकिन वह जानकारी समाज के लिए महत्वपूर्ण होती है।

इस प्रकार, यह संतुलन केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक प्रश्न भी बन जाता है।

2. जी डी पी आर का व्यावहारिक प्रभाव

- डेटा संरक्षण के क्षेत्र में सख्त मानक स्थापित किए।
- कंपनियों को अधिक जिम्मेदार बनाया।
- उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा पर अधिक अधिकार प्रदान किए।

लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी सामने आईं:

- सभी देशों में इसका समान रूप से पालन नहीं हो रहा।
- कंपनियों पर अनुपालन का आर्थिक बोझ बढ़ा।
- आर टी बी एफ के अनुरोधों को संभालना जटिल प्रक्रिया बन गया।

4. भारतीय परिप्रेक्ष्य में चुनौतियाँ

भारत में स्थिति अभी भी विकसित हो रही है:

- यूनियन ऑफ इंडिया के बाद ने निजता को मौलिक अधिकार माना।
- लेकिन आर टी बी एफ पर कोई स्पष्ट कानून नहीं है।

चर्चा से यह सामने आता है कि:

- भारत में डिजिटल जागरूकता बढ़ रही है।
- डेटा संरक्षण की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है।
- लेकिन कानूनी ढांचा अभी अधूरा है।

5. दुरुपयोग और नैतिक चिंताएँ

- क्या व्यक्ति अपने अतीत को पूरी तरह मिटा सकता है?
- क्या इससे इतिहास और सत्य प्रभावित होंगे?
- क्या शक्तिशाली लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं?

उदाहरण

- कोई सार्वजनिक व्यक्ति अपने खिलाफ भ्रष्टाचार की खबर हटवा सकता है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

6. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव

यदि आर टी बी एफ का अत्यधिक प्रयोग किया जाए, तो:

- पत्रकारिता की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है।
- मीडिया पर दबाव बढ़ सकता है।
- ऐतिहासिक और सामाजिक रिकॉर्ड प्रभावित हो सकते हैं।

7. चर्चा का समग्र निष्कर्ष

इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि "भूल जाने का अधिकार" और "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" दोनों ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं, लेकिन इनके बीच संतुलन स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है।

जी डी पी आर ने इस दिशा में एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है, किंतु इसका पूर्ण समाधान अभी भी विकसित हो रहा है।

अंतः यह कहा जा सकता है कि एक संतुलित, पारदर्शी और न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाकर ही इन दोनों अधिकारों के बीच उचित सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

इस शोध अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि "भूल जाने का अधिकार" और "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" के मध्य संतुलन स्थापित करना आधुनिक डिजिटल युग की एक महत्वपूर्ण और जटिल विधिक चुनौती है।

इस शोध के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि:

- "भूल जाने का अधिकार" और "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए "जनहित निष्कर्ष" अत्यंत आवश्यक है।
- जी डी पी आर ने वैश्विक स्तर पर डेटा संरक्षण के मानकों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- भारत में इस क्षेत्र में स्पष्ट, संतुलित और प्रभावी कानून बनाने की आवश्यकता है।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि डिजिटल युग में व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए एक समन्वित, पारदर्शी और न्यायसंगत दृष्टिकोण आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. General Data Protection Regulation, Regulation (EU) 2016/679, European Union, 2018.
2. Google Spain v AEPD, Case C-131/12, European Court of Justice (2014).
3. Justice K.S. Puttaswamy v Union of India, (2017) 10 SCC 1.
4. Information Technology Act, 2000 (India).
5. Digital Personal Data Protection Act, 2023 (India).
6. European Commission – Data Protection Rules, <https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection>, Accessed 10/02/2026.
7. Supreme Court of India Judgments Website, <https://main.sci.gov.in>, Accessed 18/02/2026.
8. GDPR Official Portal, <https://gdpr.eu>, Accessed 15/02/2026.
9. Law Commission of India Reports, <https://lawcommissionofindia.nic.in>, Accessed 20/02/2026.
10. Law Commission of India, Report on Data Protection and Privacy.
11. Justice B.N. Srikrishna Committee Report on Data Protection (2018).
